

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1049 /

जबलपुर, दिनांक 17/02/20

श्री राम आसरे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को बिना सूचना/आवेदन पत्र के अपने कर्तव्य पर दिनांक 01.12.19 से 12.12.19 तक 12 दिन तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उक्त अवधि को अवैतनिक किया जाता है।

सही / -
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक B/1050 /

जबलपुर, दिनांक 17/02/20

प्रतिलिपि :-

1. ✓ चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
 2. असि. रजिस्ट्रार (एम) (स्था.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 3. ए.ओ (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुरतिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. श्री राम आसरे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(के.के. पिठवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)